



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020

कार्तिक 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 389/91-2020

लखनऊ, 10 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-301

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-67 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०-सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदामिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश (सूचना विभाग)	1-फिल्म शूटिंग की अनुमति	जिला मजिस्ट्रेट	05 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2-शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट की सुरक्षा	जिला मजिस्ट्रेट	05 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
		3-शूटिंग की अवधि में फिल्म यूनिट को रियायती दरों पर राजकीय अतिथि गृह/ निरीक्षण गृह में ठहरने की व्यवस्था	जिला मजिस्ट्रेट	07 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
		4-शूटिंग पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण-पत्र	जिला मजिस्ट्रेट	05 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
69	नगर विकास विभाग	1-साईनेज लाइसेन्स	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस
			नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस
		2-खाद्य व्यापार के लिये राज्य लाइसेन्स हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी/ पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस
			नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस
		3-भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस
			नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस
70	गृह विभाग	1-विनिर्माण के लिए- किसी समय पर 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या बारूद या दोनों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेन्स (लाइसेन्स प्रारूप एलई-1)	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त/ पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस
			2-मण्डारण के लिए- (क) एडिक्ट के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय में 200 से अधिक संख्या में एडिक्ट का कब्जा रखने के लिए लाइसेन्स (लाइसेन्स प्रारूप एलई-2)	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त/ पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>(ख) कृषि प्रयोजन के या छोटे खदान में प्रयोग के लिए किसी एक समय में मैगजीन में श्रेणी-1 या 2 या 3 के 25 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक और 1500 संख्या में विस्फोटक प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोटकारी फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स (लाइसेन्स प्रारूप एलई-3)</p>						
		<p>3-बिक्री के लिए- (क) किसी एक समय में 25 किलोग्राम से अनधिक लघु शस्त्र नाइट्रो-कम्पाउण्ड रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेन्स</p> <p>(ख) किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग-7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चीन पटाखे या फुलझड़ियाँ रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेन्स</p> <p>(ग) किसी एक समय में 2000 से अनधिक वर्ग 6, प्रभाग 1 की आतिशबाजी युक्त विस्फोटक रखने और दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेन्स (लाइसेन्स प्रारूप एलई-5)</p>	<p>जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)</p>	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव / संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस
		<p>4-परिवहन के लिए- 25 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 2 या वर्ग 3 के विस्फोटक, 200 से अनधिक इलेक्ट्रिक या साधारण विस्फोटक प्रेरक, 100 मीटर से अनधिक विस्फोटकारी फ्यूज और 200 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज रखने और कुएं को तोड़ने में प्रयोग के लिए कम्प्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रैक्टर पर परिवहन करने के लिए लाइसेन्स (लाइसेन्स प्रारूप एलई-4)</p>	<p>जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)</p>	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव / संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	परिवहन विभाग	वाहन का स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी करना	सम्बन्धित जिला का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस (नियत समय की गणना वाहन के सम्भागीय निरीक्षक/केन्द्र पर ले आने की तिथि से)	सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी	30 कार्य दिवस	सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दिवस
72	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1-गैर वानिकी भूमि होने का प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक	15 कार्य दिवस	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ	15 कार्य दिवस
		2-वन सीमा से न्यूनतम दूरी सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक	15 कार्य दिवस	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ	15 कार्य दिवस

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 389/XCI-2020, dated November 10, 2020 :

No. 389/XCI-2020

*Dated Lucknow, November 10, 2020*

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule *after* entries at serial number 67, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, column-wise be *inserted*, namely :-

#### SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal by first Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Film Bandhu, Uttar Pradesh (Information Department)	1. Film shooting permission	District Magistrate	05 working days	Member Secretary, Film Bandhu	07 working days	Chairman, Film Bandhu	10 working days
		2. Protection of the film unit during the shooting period	District Magistrate	05 working days	Member Secretary, Film Bandhu	07 working days	Chairman, Film Bandhu	10 working days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Arrangement for lodging in Government guest house/inspection house at concessional rates to film unit during shooting period	District Magistrate	07 working days	Member Secretary, Film Bandhu	07 working days	Chairman, Film Bandhu	10 working days
		4. Shooting certificate after completion of shooting	District Magistrate	05 working days	Member Secretary, Film Bandhu	07 working days	Chairman, Film Bandhu	10 working days
69	Department of Urban Development	1. Signage license	Zonal Officer of Nagar Nigam area	30 working days	Additional Municipal Commissioner authorized by the Municipal Commissioner	20 working days	Municipal Commissioner	20 working days
			Executive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	30 working days	Sub Divisional Magistrate (SDM)	20 working days	District Magistrate	20 working days
		2. NOC for State license for Food Business	Zonal Officer/ Veterinary and Welfare Officer of Nagar Nigam area	30 working days	Additional Municipal Commissioner authorized by the Municipal Commissioner	20 working days	Municipal Commissioner	20 working days
			Executive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	30 working days	Sub Divisional Magistrate (SDM)	20 working days	District Magistrate	20 working days
		3. NOC for Extraction of Ground Water	Zonal Officer of Nagar Nigam area	30 working days	Additional Municipal Commissioner authorized by the Municipal Commissioner	20 working days	Municipal Commissioner	20 working days
			Executive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	30 working days	Sub Divisional Magistrate (SDM)	20 working days	District Magistrate	20 working days
70	Home Department	1. For <b>Manufacturing-</b> Licence to manufacturing fireworks or gunpowder or both not exceeding 15 kilogrammes at any one time. (Licence Form LE-1)	District Magistrate/ Nominated/ Authorized officer by the Police Commissioner (within Commissionerate Jurisdiction)	30 working days	Commissioner/ Deputy Commissioner of Police, Head Quarters (within Commissionerate Jurisdiction)	10 working days	Principal Secretary/ Additional Chief Secretary/ Joint Commissioner of Police, Crime, Head Quarters (within Commissionerate Jurisdiction)	10 working days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p><b>2. For Storage-</b>            (A) Licence to possess gunpowder not exceeding 15 kilogrammes at any one time for manufacture of adirverttus and possession of adirverttus not exceeding 200 in number at anyone time. (Licence Form LE-2)</p> <p>(B) Licence to possess for use, for agricultural purpose or in small quarry, explosives not exceeding 25 kilogrammes of Class 1 or 2 or 3 and 1500 numbers detonators; and 1500 meters of detonating fuse or safety fuse at any one time in a magazine, (Licence Form LE-3)</p>	District Magistrate/ Nominated/ Authorized officer by the Police Commssioner (within Commis-sionerate Jurisdiction)	30 working days	Commissioner/ Deputy Commissioner of Police, Head Quarters (within Commis-sionerate Jursdiction)	10 working days	Principal Secretary/ Additional Chief Secretary/ Joint Commissioner of Police, Crime, Head Quarters (within Commis-sionerate Jurisdiction)	10 working days
		<p><b>3. For sale-</b>            (A) Licence to possess and sell from a shop, at any one time, not exceeding 25 kilogrammes of small-arms nitro-compund</p> <p>(B) Licence to possess and sell from a shop, at any one time, not exceeding 100 kilogrammes of manufactured fireworks of Class 7, Division 2, sub-division 2; and 500 kilogrammes of chinese crackers or sparklers</p> <p>(C) Licence to possess and sell from a shop, at any one time, not exceeding 2000 numbers of pyrotechnic device explosives of Class 6, Division 1 (Licence Form LE-5)</p>	District Magistrate/ Nominated/ Authorized officer by the Police Commssioner (within Commis-sionerate Jurisdiction)	30 working days	Commissioner/ Deputy Commissioner of Police, Head Quarters (within Commis-sionerate Jursdiction)	10 working days	Principal Secretary/ Additional Chief Secretary/ Joint Commissioner of Police, Crime, Head Quarters (within Commis-sionerate Jurisdiction)	10 working days

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>4. For Transport-</b> Licence to the possess and transport explosive of Class 2 or Class 3 not exceeding 25 kilogrammes, electric or ordinary detonators not exceeding 200 numbers, detonators fuse not exceeding 100 metres and safety fuse not exceeding 200 metres in a compressor mounted motor truck or tractor for use in well sinking. (Licence Form LE-4)	District Magistrate/ Nominated/ Authorized officer by the Police Commissioner (within Commissionerate Jurisdiction)	30 working days	Commissioner/ Deputy Commissioner of Police, Head Quarters (within Commissionerate Jurisdiction)	10 working days	Principal Secretary/ Additional Chief Secretary/ Joint Commissioner of Police, Crime, Head Quarters (within Commissionerate Jurisdiction)	10 working days
71	Transport Department	1. Issuing Vehicle Fitness Certificate	Assistant Regional Transport Officer of the District Concerned	07 working days (Time limits will be calculated from the date of arriving the vehicle at R.I./ Center)	Regional Transport Officer of the Region concerned	30 working days	Concerned Deputy Transport Commissioner (Zone)	30 working days
72	Environment, Forest and Climate Change Department	1. Decision on the issuance of Certificate of Non-Forest Land	Concerned Divisional Forest Officer	15 working days	Conservator of Forest/ Divisional Chief Conservator of Forest	15 working days	Chief Conservator of Forest/Nodal Officer, U.P., Lucknow	15 working days
		2. Decision on the issuance of Certificate of shortest distance from forest boundary	Concerned Divisional Forest Officer	15 working days	Conservator of Forest/ Divisional Chief Conservator of Forest	15 working days	Chief Conservator of Forest/ Nodal Officer, U.P., Lucknow	15 working days

By order,  
JITENDRA KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 369 राजपत्र-2020-(851)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2020-(852)-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।